आज दिनाँक 20 दिसम्बर, 2017 दिन बुधवार को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंहनगर की प्रथम बोर्ड बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही–

1. श्री चन्द्रशेखर भट्ट आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल	अध्यक्ष
2. श्री डा0 नीरज खैरवाल जिलाधिकारी	उपाध्यक्ष
3. श्री एस0के0पन्त, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून	सदस्य (पदेन)
4. श्री राजेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, प्रतिनिधि, सचिव, आवास विभाग, देहरादून	सदस्य (पदेन)
5. श्री बी0पी0काण्डपाल, मुख्य कोषाधिकारी, उधम सिंह नगर सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य (पदेन)
6. श्री राजेश्वर प्रसाद, मुख्य अभियन्ता (कुमायूँ), उत्तराखण्ड पेयजल निगमप्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम के प्रतिनिधि	सदस्य (पदेन)
7. श्रीमती कविता यादव, पार्षद, नगर निगम, काशीपुर	सदस्य
8. श्री सर्वेश शर्मा पार्षद, नगर निगम, काशीपुर	सदस्य

अन्य उपस्थिति–

1. श्री प्रताप सिंह शाह, अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंहनगर।
2. श्री एस0एम0 श्रीवास्तव, सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हल्द्वानी।
3. श्री आनन्द राम, सहायक अभियन्ता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंहनगर।
4. श्री सेवितम पाण्डेय अपर अभियन्ता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंहनगर।
5. श्री अशोक कुमार अवर अभियन्ता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंहनगर।
6. श्री उदयभानु सिंह, अवर अभियन्ता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंहनगर।
7. श्री रघुबीर लाल भारती, अवर अभियन्ता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंहनगर।

सर्व प्रथम सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंहनगर द्वारा प्रथम बोर्ड बैठक में उपस्थित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सम्मानित सदस्यों का अभिवादन किया गया। तत्पश्चात् प्रस्तावित बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं को कमशः प्रस्तुत किया गया। एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

मद संख्या–01.01

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंहनगर का विकास क्षेत्र

उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 1811/ V–2 / 2017–05 (आ0) /2017 दिनांक 13 नवम्बर, 2017 द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचनाओं का

अपेक्षित करते हुए जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंहनगर के विकास क्षेत्र के रूप में जिला उधम सिंह नगर के सम्पूर्ण भू–भाग को विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्तानुसार घोषित विकास क्षेत्र को अंगीकृत किया जाना है।

कार्यवाही:– *प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया एवं सर्व सम्मति से अधिसूचना को अंगीकृत किये जाने की सहमति प्रदान की गई।*

मद संख्या–01.02

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंहनगर के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 1902/V–2/2017–05(आ0)/2017 दिनांक 17 नवम्बर, 2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंहनगर के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये जाने की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की गई है।

(1)– प्राधिकरण का मुख्यालय, रूद्रपुर में अवस्थित होगा, जिसके अन्तर्गत तहसील रूद्रपुर, किच्छा एवं गदरपुर आच्छादित होगें।

(2)– क्षेत्रीय कार्यालय, काशीपुर में स्थित होगा, जिसके अन्तर्गत तहसील काशीपुर, बाजपुर एवं जसपुर आच्छादित होगें।

(3)– क्षेत्रीय कार्यालय, खटीमा में स्थित होगा, जिसके अन्तर्गत तहसील खटीमा एवं सितारगंज आच्छादित होगें।

उपरोक्त शासनादेशानुसार प्राधिकरण मुख्यालय रूद्रपुर में तहसील रूद्रपुर के अतिरिक्त तहसील किच्छा व गदरपुर की सीमाएं आच्छादित हैं। उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के कार्यालय पत्रांक–788 उडा–327/2017–18 दिनांक 28 नवम्बर, 2017 के पैरा संख्या–5 में किये गये उल्लेखानुसार जिला विकास प्राधिकरण के निर्धारित क्षेत्रीय कार्यालयों काशीपुर एवं खटीमा में उप जिलाधिकारी काशीपुर एवं खटीमा द्वारा संयुक्त सचिव का कार्य किया जाना है, जिनके अधीन क्रमशः काशीपुर, बाजपुर व जसपुर एवं खटीमा व सितारगंज तहसीलों की सीमाएं आच्छादित हैं। उप जिलाधिकारी काशीपुर एवं खटीमा द्वारा संयुक्त सचिव प्रधिकरण के रूप में उनके लिए निर्धारित सम्पूर्ण प्राधिकरण क्षेत्र का अतिरिक्त शासकीय कार्य सुचारू रूप से किया जाना सम्भव नहीं होगा। अतः नव सृजित जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंहनगर के शासकीय कार्यों के सुचारू संचालन हेतु जनपद उधमसिंहनगर के समस्त परगनाधिकारियों/उप जिलाधिकारियों को अपने–अपने परगना क्षेत्र के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण के कार्यों के सम्पादन हेतु संयुक्त सचिव नामित किया जाना उचित होगा। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकारण, उधम सिंह नगर द्वारा पत्र संख्या

4981 /वि0प्रा0/52(8)/2017 दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 एवं पत्र संख्या 4566/वि0प्रा0/ 52 (8) /2017 दिनांक 17 नवम्बर, 2017 के माध्यम से सचिव, आवास उत्तराखण्ड शासन से अनुरोध किया गया है। यद्यपि शासन की अधिसूचना के अनुपालन में नवृसजित जिला विकास प्राधिकरण के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये सचिव एवं संयुक्त सचिव को नामित कर दिया गया है। फिर भी विकास प्राधिकरण के कार्यो के सुचारू रूप से संचालन हेतु प्राधिकरण बोर्ड के माध्यम से जनपद ऊधमसिंहनगर के सभी 08 परगना/तहसील क्षेत्रों के उप जिलाधिकारियों को विकास प्राधिकरण के कार्यों के सम्पादन हेतु संयुक्त सचिव नामित किये जाने हेतु शासन से अनुरोध किये जाने का प्रस्ताव है।

मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय—उपरोक्त पर कार्यवाही होने तक प्राधिकरण का मुख्यालय, कलैक्ट्रेट रूद्रपुर के कक्ष संख्या—07 में, क्षेत्रीय कार्यालय काशीपुर में पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरण कार्यालय (पूर्व विनियमित क्षेत्र कार्यालय) के भवन निकट उपजिलाधिकारी कार्यालय में एंव खटीमा में उपजिलाधिकारी कार्यालय में अवस्थित है। उक्त कार्यालयों की साज—सज्जा हेतु कार्यवाही किये जाने के साथ—साथ अग्रिम व्यवस्था होने तक उपरोक्तानुसार कार्यालय संचालित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही:— *प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों की अग्रिम व्यवस्था होने तक मुख्यालय रूद्रपुर तथा क्षेत्रीय कार्यालय काशीपुर व खटीमा में प्रस्तावित भवन/कार्यालय से संचालित किये जायें। नव सृजित जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण के शासकीय कार्यो के सुचारू संचालन हेतु जनपद उधमसिंहनगर के समस्त परगनाधिकारियों/उप जिलाधिकारियों को अपने—अपने परगना क्षेत्र के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण के कार्यों के सम्पादन हेतु संयुक्त सचिव नामित किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि समस्त उप जिलाधिकारी कार्यालयों में विकास प्राधिकरण के कार्यो हेतु एक लिपिक तैनात किया जाय, जो मानचित्र एवं अन्य आवेदन/प्रार्थना पत्र प्राप्त कर सम्बन्धित संयुक्त सचिव/सचिव/उपाध्यक्ष कार्यालय में प्राप्त करायेगा।*

मद संख्या—01.03

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में शासकीय कार्यों के संचालन हेतु कार्मिकों की तैनाती/सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग—2 की शासनादेश संख्या 1902/V—2/ 2017— 05 (आ0) / 2017 दिनांक 17 नवम्बर, 2017 के बिन्दु संख्या 02

में उल्लेख है कि प्राधिकरण के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के यथोचित पदों का सृजन पृथक से किया जायेगा। मुख्य प्रशासक उडा देहरादून के पत्र सं0–788 उडा– 327/2017–18, 28 नवम्बर 2017 के बिन्दु सं0 7 में उल्लिखित है कि पूर्व के विनियमित क्षेत्रों में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के तैनात अभियन्ताओं द्वारा नवगठित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में सेवाएं दी जायेंगी, जिसके अनुसार जनपद उधमसिंहनगर के पूर्व के 04 विनियमित क्षेत्रों में कार्यरत रहे अवर अभियन्ताओं को नवसृजित जिला विकास प्राधिकरण का कार्य करने हेतु आदेश जारी कर दिया गया है। उक्त पत्र के पैरा संख्या 09 में उल्लिखित है कि जिला विकास प्राधिकरण के कार्मिकों के ढाँचे की स्वीकृति तथा नियमित रूप से कार्मिकों की नियुक्ति किये जाने तक जनपद मे अभियन्त्रण सेवाओं के विभागों यथा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,लोक निर्माण विभाग आदि विभागों में तैनात अवर अभियन्ताओं/सहायक अभियन्ताओं तथा अधिशासी अभियन्ताओं को प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर प्राधिकरणों के कार्यों का सम्पादन प्रारम्भ कर सकते हैं। दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग में बताया गया कि कार्मिकों की तैनाती सम्बद्धता के आधार पर भी की जा सकती है। चूँकि प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया में काफी समय लगने की सम्भावना है, जबकि प्राधिकरण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाना है।

कार्यालय आदेश सं0 5037/वि0प्रा0/52(8)/2017 दि0 12दिसम्बर 2017 के द्वारा उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के 01 सहायक अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग के 04 सहायक अभियन्ता एवं 04 अवर अभियन्ताओं को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंहनगर के शासकीय कार्यों के सम्पादन हेतु सम्बद्ध किया गया है। प्रस्ताव है कि अन्य कार्मिकों की तैनाती उपाध्यक्ष अपने स्तर से आवश्यकतानुसार पी0आर0डी0/उपनल इत्यादि के माध्यम से कर सकेंगे।

प्राधिकरणों में उपाध्यक्ष के अधिकारों का प्रतिनिधायन पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या 2222/11–4–वि0प्रा0/86–156डीए/86 दिनांक 10 नवम्बर, 1986 के द्वारा कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारण हेतु अधिनियम की धारा–51 के तहत उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण को अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया है, जो पत्र संलग्न है, को अंगीकृत किया जाना है।

कार्यवाही:– *प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया, प्राधिकरणों में उपाध्यक्ष के अधिकारों प्रतिनिधायन पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या 2222/11–4–वि0प्रा0/86–156डीए/86 दिनांक 10 नवम्बर 1986 के द्वारा कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारण हेतु अधिनियम की धारा–51 के तहत उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण को अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया है, को अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।*

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि विकास प्राधिकरण एवं नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग तथा अन्य विभागों की सेवा शर्तें भिन्न हैं। इस लिए इस विभाग के जनपद में विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंताओं को विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने अथवा सम्बद्ध किये जाने हेतु शासन को लिखा जाना उचित होगा। निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को शासन को संदर्भित किया जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि अन्य कार्मिकों की तैनाती उपाध्यक्ष अपने स्तर से आवश्यकतानुसार पी0आर0सी0/उपनल इत्यादि के माध्यम से कर सकते हैं।

मद संख्या–01.04

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम–2011(संशोधन, 2015) (समय–समय पर यथा संशोधन) को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–2देहरादून के शासनादेश संख्या 1915/ V–2/ 05 (आ0) 17 टी0 सी0–3/ 2017 दिनांक 21 नवम्बर, 2017 में शासनादेश संख्या 888/V–2013–55(आ0)/2006–टी0सी0 दिनांक 12 जून, 2015 के द्वारा निर्गत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम–2011(संशोधन, 2015) (समय–समय पर संशोधित यथा–2016, 2017) को बोर्ड से अंगीकृत कराने के निर्देश दिये गये हैं।

(अ) उपरोक्तानुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम–2011(संशोधन, 2015) (समय–समय पर यथा संशोधन) को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ब) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के प्राविधान के अनुसार 20,000.00 वर्ग मीटर से अधिक कवर्ड एरिया एवं 150.00 है0 से अधिक क्षेत्र की टाउनशिप एवं भूमि विकास के मानचित्रों की स्वीकृति से पूर्व वांछित ई0आई0ए0 अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा। साथ ही मा0नैशनल ग्रीन ट्रीबनल नई दिल्ली के आदेश दिनांक 25.04.2017 के अनुसार 10,000.00 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में भवन मानचित्र स्वीकृति में एस0टी0पी0एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का प्राविधान अनिवार्य होगा। उक्त शासनादेशानुसार एवं बिन्दु–(अ)(ब) पर वर्णित प्राविधान को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम–2011 (संशोधन, 2015) (समय–समय पर यथा संशोधन) को अंगीकृत किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही:– *प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। भवन निर्माण एवं विकास*

उपविधि/विनियम–2011(संशोधन, 2015) (समय–समय पर यथा संशोधन), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2006 को अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। इसके साथ ही माo नैशनल ग्रीन ट्रीबनल नई दिल्ली के आदेश दिनांक 25.04.2017, जिसके अनुसार 10,000.00 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में भवन मानचित्र स्वीकृति में एसoटीoपीoएवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अनुसार वोस अपशिष्ट प्रबन्धन का प्राविधान अनिवार्य होगा।

अध्यक्ष द्वारा रैनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिये जाने के निर्देश दिये गये। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि पूर्णता प्रमाण पत्र/ शमन आदेश जारी करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि भवन स्वामी द्वारा रैनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था कर दी गयी है। उपाध्यक्ष जिला प्राधिकरण उधमसिंहनगर द्वारा प्रस्तावित किया गया कि रैनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान न किये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध पेनाल्टी लगायी जाये। अतः इस सम्बन्ध में शासन को यथोचित आदेश निर्गत करने हेतु पत्र प्रेषित किया जाये।

मद संख्या–01.05

आरoबीoओoएक्ट एवं उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत प्रचलित अवैध निर्माण बादों के सम्बन्ध में ।

उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग–2 देहरादून की अधिसूचना संख्या–1811 दिनांक 13 नवम्बर, 2017 द्वारा उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा–3 के तहत स्थानीय विकास प्राधिकरण काशीपुर, बाजपुर, किच्छा एवं रुद्रपुर को समाप्त करते हुए जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंहनगर का विकास क्षेत्र अधिसूचित किया गया । स्थानीय विकास प्राधिकरण पूर्व से ही उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 के तहत गठित थे।

मुख्य प्रशासक उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण देहरादून के पत्र संख्या 788 दिनांक 28 नवम्बर, 2017 के अनुसार समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 (संशोधित 2013) के अन्तर्गत व्यवस्था तथा मार्ग निर्देशन के सम्बन्ध में दिशा– निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसके बिन्दु –11 में

उल्लेख किया गया है कि जो कार्यवाही अवैध निर्माणों के विरुद्ध पूर्ववर्ती विनियमित क्षेत्रों (वर्तमान में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण) में की गयी है वह कार्यवाही भी उत्तराखण्ड

जारी किये जा सकेंगे।

पूर्व में आर0बी0ओ0एक्ट 1958 के तहत काशीपुर, बाजपुर, किच्छा एवं रूद्रपुर विनियमित क्षेत्र कार्यरत थे एवं उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 के तहत स्थानीय विकास प्राधिकरण काशीपुर, बाजपुर, किच्छा एवं रूद्रपुर कार्यरत थे। उक्त अधिनियमों के तहत अवैध निर्माणों के विरूद्ध वाद लम्बित हैं।

अवैध निर्माणों के विरूद्ध लम्बित वादों को उपरोक्तानुसार उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 (संशोधित 2013) के तहत निस्तारण किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ/संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही:— *बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आर0बी0ओ0एक्ट के तहत विनियमित क्षेत्रों में लम्बित वादों की सुनवाई उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 (संशोधित 2013) के तहत निस्तारित किया जाये तथा लम्बित वादों में अवैध निर्माणकर्ता को वर्तमान में प्रभावी एक्ट के सम्बन्धित धाराओं के तहत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराते हुये वादों को अधिनियम के अनुसार निस्तारित किया जाय।*

मद संख्या—01.06

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंहनगर के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत महायोजनाओं के अंगीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

वर्तमान में किच्छा, काशीपुर, रूद्रपुर एवं बाजपुर की महायोजनाएं पूर्व में बनी हुई हैं, जो कि क्रमशः किच्छा महायोजना 1967 में बनी है, काशीपुर महायोजना 2011 तक लागू थी, रूद्रपुर महायोजना 2031 तक लागू है तथा बाजपुर महायोजना 1991—2011 तक लागू थी। उक्त के अतिरिक्त जनपद उधमसिंहनगर के तहसील जसपुर, गदरपुर, सितारगंज एवं खटीमा का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा पूर्व विनियमित क्षेत्र/स्थानीय विकास प्राधिकरण क्षेत्र काशीपुर, बाजपुर, रूद्रपुर एवं किच्छा के बाहर तहसील काशीपुर, बाजपुर, रूद्रपुर एवं किच्छा का अवशेष क्षेत्रों की महायोजना को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग अथवा अन्य एजेंसी द्वारा तैयार किये जाने का कार्य किया जाना है। नई महायोजनायें तैयार होने तक उक्त पूर्व से लागू महायोजनाओं को अंगीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव है।

अ. महायोजना से बाह्य क्षेत्रों में कार्यवाही किये जाने हेतु प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्ग विद्यमान हैं। महायोजना न होने से उक्त मार्गों के मार्गाधिकार निर्धारित नहीं है। अतः उक्त

मार्गों का मार्गाधिकार निर्धारित किये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग, अन्य सम्बन्धित विभाग व नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से मानकों को संकलित करते हुए तदनुसार मार्गों का मार्गाधिकार सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है।

4. भवन उपविधि 2011 (संशोधन–2015) के अध्याय 3 के विनियमन संख्या 3.3 सूचनाएं एवं दस्तावेज के बिन्दु (VI)में वर्णित है कि ऐसे विनियमित क्षेत्र/विकास क्षेत्र/विशेष विकास क्षेत्र, जिनकी महायोजना स्वीकृत न होने के कारण भू–उपयोग निर्धारित नहीं है, में सम्बन्धित भूमि को कृषि/अविकसित/बंजर मानते हुये समस्त प्रकरणों का गुणदोष के आधार पर अनुमन्य होने की स्थिति में भू–उच्चीकरण शुल्क, सीवर एवं ड्रेनेज सिस्टम हेतु वाह्य विकास शुल्क लिया जायेगा। भू–उच्चीकरण शुल्क एकल आवासीय एवं फुटकर दुकानों को छोड़कर सभी प्रकार के प्रयोजन के भवनों पर देय होगा। महायोजना क्षेत्र से बाहरी क्षेत्र की महायोजना न होने से जिन क्षेत्रों का भू–उपयोग निर्धारित नहीं है, उक्त क्षेत्रों में विनियमन के तहत कार्यवाही की जा सकती है। महायोजना से बाहरी क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति हेतु भू–उपयोग उच्चीकरण शुल्क आरोपण से पूर्व निर्धारण हेतु निम्नानुसार एक समिति गठन की जानी है, जिसके सदस्य निम्न प्रस्तावित हैं:–

1. सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंहनगर।
2. सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, जनपद उधमसिंहनगर।
3. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सम्बन्धित क्षेत्र के ।
4. अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, सम्बन्धित क्षेत्र के।
5. सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हल्द्वानी।

उक्त समिति की आख्या के उपरान्त ही मानचित्रों के निस्तारण की कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है एवं महायोजना से बाहर के क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही प्रिडीसिनक्ट यूज के आधार पर किये जाने का प्रस्ताव है। उपरोक्तानुसार महायोजनाओं को अंगीकृत किये जाने, बिन्दु–अ पर वर्णितानुसार अनुमोदन एवं महायोजना से बाहर क्षेत्रों में बिन्दु ब के अनुसार कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही:– *प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। नई महायोजना तैयार होने तक पूर्व विनियमित क्षेत्र/स्थानीय विकास प्राधिकरण क्षेत्र काशीपुर बाजपुर रुद्रपुर एवं किच्छा की महायोजना को अंगीकृत किये जाने की सहमति प्रदान की गयी। शेष क्षेत्रों की महायोजना तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये। जिन क्षेत्रों में महायोजना नहीं है, उनमें मार्गों के किनारे प्रस्तावित निर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग की अनापत्ति ले ली जाये। जिन क्षेत्रों का भू–उपयोग निर्धारित नहीं है, में एकल आवासीय एवं फुटकर दुकानों को छोड़कर शेष निर्माणों के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक*

द्वारा अवगत कराया गया कि महायोजना क्षेत्र से बाहर के निर्माणों के सम्बन्ध में Land Use Upgradation Fee जमा कराने के बाद उपाध्यक्ष मानचित्र स्वीकृत कर सकते हैं। इनमें महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र पहले से ही विकसित होते हैं, इसलिये इन क्षेत्रों में Land Use Upgradation Fee जमा नहीं करायी जानी है। जिन क्षेत्रों में महायोजना लागू है, उनमें भू–उपयोग परिवर्तन शासन स्तर से किया जाता है। अतः उक्तानुसार प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

उपाध्यक्ष,उधमसिंहनगर विकास प्राधिकरण द्वारा कहा गया कि महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत एवं पूर्व विनियमित क्षेत्रों के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग से 200 मी0 के अन्दर के क्षेत्रों में 200 वर्ग मी0 तक भूखण्ड क्षेत्रफल पर आवासीय तथा 30 वर्ग मी0 भूखण्ड क्षेत्रफल पर फुटकर दुकानों के निर्माण तथा 200 मी0 के बाहर के क्षेत्रों में आवासीय भवन (ग्रुप हाउसिंग एवं मल्टीपल यूनिट को छोड़कर) तथा 30 वर्ग मी0 भूखण्ड क्षेत्रफल पर फुटकर दुकानों भवन मानचित्र स्वीकृति से छूट का प्राविधान किया जाना आवश्यक है। इन क्षेत्रों में भवन निर्माणकर्ता मात्र भवन मानचित्र एवं शपथपत्र इस आशय से कि वह वर्तमान में लागू भवन उपविधि के अनुसार ही निर्माण करेगा, प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त निर्माणकर्ता को कोई औपचारिकता नहीं करनी है। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाय।

मद संख्या–01.07

मानचित्र स्वीकृति की प्रकिया के सरलीकरण से सम्बन्धित दस्तावेजों के अंगीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

शासनादेश संख्या 1744/V–2/55(आ0)06/2017 दिनांक 30 अक्टूबर, 2017 द्वारा EODB अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृति की प्रकिया के सरलीकरण के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है कि शासन के पत्र संख्या–388 दिनांक 08 मार्च, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने ,एवं EODB अन्तर्गत राज्य में प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम– 2011 (यथा संशोधित 2015 एवं 2016) में कार्यवाही गतिमान है। उक्त के निरन्तरता, भवन मानचित्र की स्वीकृति की प्रकिया में पारदर्शिता व सरलीकरण, परिवाद निवारण प्रणाली तथा मानचित्र स्वीकृति के समय जमा किये जाने वाले विविध शपथ–पत्र/प्रमाण–पत्र के स्थान पर एकीकृत शपथ–पत्र/प्रमाण–पत्र एवं आवश्यकतानुसार क्षतिपूर्ति बन्धपत्रमा का प्रारूप संलग्न करते हुये आदेशित किया गया है कि सम्बन्धित विकास प्राधिकरण स्तर पर मानचित्रों की स्वीकृति में उक्त निर्धारित प्रकिया को अपनाये जाने के सम्बन्ध में तत्काल प्रभाव से अपने–अपने क्षेत्रों में इन प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें। संशोधित की जा रही भवन उपविधि/विनियम में इन प्राविधानों को सम्मिलित किया जाये।

अतः उक्त प्रारूप को भवन उपविधि में अंगीकृत किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही:– *प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सर्व सम्मति से उपरोक्तानुसार अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।*

मद संख्या–01.08

पूर्ववर्ती प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

पूर्व में गठित प्राधिकरण द्वारा जिन प्रकरणों के सम्बन्ध में निर्णय लिये गये हैं, को यथावत अंगीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही:– *विचारोपरान्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।*

मद संख्या–01.09

पूर्ववर्ती विनियमित क्षेत्रों एवं पूर्ववर्ती स्थानीय विकास प्राधिकरणों के खातों में जमा धनराशि के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 39/V–2/60(आ0)15/2017 दिनांक 03 जनवरी, 2017 द्वारा विनियमित क्षेत्रों के खातों मे जमा धनराशि, आस्तियां एवं दायित्वों का हस्तान्तरण उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। परन्तु विनियमित क्षेत्र के खातों में जमा धनराशि उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित नहीं हुई है तथा वर्तमान में पूर्व के विनियमित क्षेत्र के खातों में ही मौजूद है। विनियमित क्षेत्र के खातों में जमा धनराशि से पूर्व में विकास कार्य कराये जाते रहे हैं। कतिपय जन प्रतिनिधियों द्वारा पूर्व विनियमित क्षेत्रों के खातों मे जमा धनराशि विकास कार्यों में व्यय किये जाने की मांग की जा रही है एवं इस सम्बन्ध में जिला विकास प्राधिकरण, उधमसिंहनगर द्वारा पत्र संख्या 5089/ वि0 आ0/52 (8) /2017 दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 के माध्यम से जनपद उधमसिंहनगर के पूर्व विनियमित क्षेत्रों के खातों में जमा धनराशि विकास कार्यों के लिये व्यय किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश हेतु सचिव, आवास से अनुरोध किया गया है। अतः पूर्व में विनियमित क्षेत्र काशीपुर, बाजपुर, रूद्रपुर एवं किच्छा तथा स्थानीय प्राधिकरण काशीपुर, बाजपुर, रूद्रपुर एवं किच्छा के खातों में जमा धनराशि को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंहनगर के खातों में स्थानान्तरण एवं खर्च करने की अनुमति दिये जाने एवं प्राधिकरण बोर्ड के माध्यम से भी पत्र शासन को प्रेषित किये जाने का प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही:– *प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। निर्णय लिया गया कि पूर्ववर्ती स्थानीय विकास प्राधिकरणों के खातों में जमा धनराशि को विकास प्राधिकरण के खाते*

विभागीय प्राधिकरण के खाते में लिये जाने तथा खर्च किये जाने की अनुमति शासन स्तर से प्राप्त कर ली जाये।

मद संख्या–01.10

पूर्ववर्ती स्थानीय प्राधिकरणों की अचल सम्पत्ति जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंहनगर के नाम हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1902/V–2/05(आ0)/2017 दिनांक 17 नवम्बर, 2017 में उल्लिखित है कि जनपद उधमसिंहनगर के अन्तर्गत पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरणों के खाते में जमा धनराशि, आस्तियों एवं दायित्वों का हस्तान्तरण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंहनगर मे स्वतः हस्तान्तरित होंगे।

अतः जनपद उधमसिंहनगर के पूर्ववर्ती स्थानीय प्राधिकरणों काशीपुर, बाजपुर, रूद्रपुर व किच्छा के खाते में जमा धनराशि, आस्तियों एवं दायित्वों तथा चल अचल परिसम्पत्तियों, वाहनों का हस्तान्तरण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंहनगर में किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाहीः– *विचारोपरान्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।*

मद संख्या–01.11

अवैध निर्माण को शमन किये जाने हेतु शमन उपविधि को अंगीकरण किये जाने के सम्बन्ध में

शमन उपविधि एवं अवस्थापना फण्ड के संचालन हेतु दिशा–निर्देश विषयक शासनादेश संख्या 1963/V–2/05(आ0)17 टी0सी0–3/2017 दिनांक 23नवम्बर, 2017 में उल्लेख किया गया है कि:–

1– उत्तर प्रदेश राज्य के शासनादेश संख्या–2281/9–आ–1–96–6डीए/01, दिनांक 22 जून, 1998 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों यथा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एवं हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण में शमन की कार्यवाही संचालित की जा रही है।

2– उत्तर प्रदेश राज्य के शासनादेश संख्या–152 / 9–आ–1–98 दिनांक 16 जनवरी, 1998 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त)(समय–समय पर यथा संशोधित) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों यथा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एवं हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण में अवस्थापना फण्ड के संचालन की कार्यवाही संचालित की जा रही है।

उपरोक्त वर्णित शासनादेशों के प्राविधानों के अन्तर्गत शमन उपविधि एवं

अवस्थापना फण्ड के संचालन की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया गया है।

(I) उक्त के क्रम में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंहनगर हेतु अपराधों का शमन उपविधि–पूर्ववर्ती शासन आवास अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–2281/9–अ–1–96–6 डीए/01, दिनांक 22 जून, 1998 तथा उक्त में उत्तराखण्ड शासन द्वारा किये गये संशोधन अधिसूचना संख्या–2202/श0वि0आ0–03–52(सामान्य)/2003 दिनांक 04 सितम्बर, 2003, अधिसूचना संख्या 3686/ श0वि0आ0–03–62 (सामान्य) /2009 दिनांक 31 दिसम्बर, 2003, जो पर संलग्न है, को संशोधन सहित अंगीकृत किया जाना है। उक्त शमन उपविधि में निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित है–

अ. उक्त शमन उपविधि के बिन्दु–9 में विना स्वीकृत किया गया भू–उपविभाजन/विकास कार्य हेतु उप–विभाजन शुल्क निम्नानुसार प्रस्तावित है:–

उप विभाजन शुल्क भूखण्ड के नवीनतम सर्किल रेट का प्रतिशत में	एकल आवसीय		एकल आवासीय से भिन्न भवनों हेतु (2000 वर्ग मीटर तक)	
	निर्मित क्षेत्र	बाह्य क्षेत्र	निर्मित क्षेत्र	बाह्य क्षेत्र
	2 प्रतिशत	5 प्रतिशत	5 प्रतिशत	10 प्रतिशत

नोटः–(क) उक्त भू–विभाजन मात्र ऐसे भू–खण्डों पर देय होगा जहां पर भवन निर्माण विनियमनानुसार न्यूनतम् आवश्यक मार्ग की चौड़ाई से 25 प्रतिशत कम हो। 2000 वर्ग मीटर से अधिक विस्तृत परियोजना भू–खण्डों हेतु उप विभाजन शुल्क भूखण्ड के नवीनतम सर्किल रेट का 3 प्रतिशत देय होगा।

(ख) निर्मित क्षेत्र का तात्पर्य महायोजना में अंकित निर्मित क्षेत्र या भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम–2011 (संशोधन–2015) के अध्याय–7 के अनुसार होगा।

शमन उपविधि के बिन्दु–10 भू–उपविभाजन, जिसकी स्वीकृति नियमानुसार अनुमन्य नहीं हो अर्थात् पहुंच मार्ग की चौड़ाई मानकों से 25 प्रतिशत से अधिक कम होने पर भू–उपविभाजन की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। ऐसे मामलों में प्राधिकरण स्तर से दरों को जो बिन्दु संख्या–09 में निर्दिष्ट के दुगने से उच्च होगी, स्थिति अनुसार निर्धारित कर सकेंगे।

ब. अधिसूचना संख्या–2281/9–आ–1–96–6डीए/01, दिनांक 22 जून, 1998 के टिप्पणी में बिन्दु संख्या–05 में पार्किंग उपलब्ध न होने की दशा में निर्माण शमनीय नहीं होंगे।

स. जहां पर अधिनियमानुसार मानचित्र स्वीकृति अनिवार्य थी, किन्तु तत्सम्बन्धी धाराओं में मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है, अर्थात् पूर्ण रूप से बिना अनुमति के होने पर आकलित शमन शुल्क का 100 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा ।

द. अशमनीय भवन भाग को ध्वस्त किये जाने के उपरान्त ही शमन हेतु प्राविधानित किया जाये ।

य. मार्गाधिकार में बाउण्ड्रीवाल एवं अन्य किसी प्रकार का निर्माण को हटाये जाने के उपरान्त ही शमन की कार्यवाही प्राविधानित की जाये।

र. प्रत्येक प्रकरण पर सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हल्द्वानी की तकनीकी आख्या के उपरान्त ही शमन कार्यवाही प्राविधानित की जाये।

ल. अवैध निर्माण तलों के प्रत्येक तल पर भू–मूल्य आरोपित किया जाये ।

(II) मुख्य प्रशासक, उडा देहरदून के पत्रांक 877 दिनांक 11.12.2017 के क्रम में भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिडकुल में 04 खाते क्रमशः मुख्य खाता, अवस्थापना खाता, एस्को खाता एवं कलैक्शन खाता जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण हेतु खोल लिये गये हैं। पूर्व राज्य के शासनादेश संख्या–152/9–आ–1–1998 दिनांक 15 जनवरी, 1998 के अनुसार अवस्थाना खाते में से व्यय हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जानी है, उक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर कमेटी के सदस्य जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम रुद्रपुर, काशीपुर/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद एवं जल निगम के प्रतिनिधि होंगे।

उपरोक्तानुसार शहरी क्षेत्र हेतु कार्यवाही की जाएगी, ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अलग से प्रस्ताव दिया जाना प्रस्तावित है। अपराधों का शमन उपविधि तथा इसमें अपेक्षित संशोधनों के साथ अंगीकृत किये जाने एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कमेटी का अनुमोदन के साथ–साथ अवस्थापना फन्ड का संचालन किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही:– *प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से शासनादेशों में वर्णित शमन उपविधि एवं संशोधित (अ से ल तक) प्राविधानों को अनुमोदित करते हुए अंगीकृत किया गया तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये प्रस्ताव पृथक से बोर्ड की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया। इन्फ्रास्ट्रक्चर कमेटी प्रस्ताव के अनुसार अनुमोदित की गई, कमेटी में यथा आवश्यकता अन्य विभागों को भी आमन्त्रित किये जाने का अनुमोदन किया गया एवं अवस्थापना खाता संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। रैन वाटर हार्वेस्टिंग के प्राविधानों के सम्बन्ध में विचारोपरान्त यह भी निर्णय लिया गया कि रैन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था स्थल पर विद्यमान होने के उपरान्त ही शमन की कार्यवाही की जाये। उपाध्यक्ष उधमसिंहनगर विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध कालोनियों के*

पाया पर समाधान शुल्क के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा अवगत कराया कि अवैध कालोनियों के सम्बन्ध में शासन स्तर से कमेटी गठित की गई है। उक्त समिति की संस्तुति प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में शासन स्तर से निर्णय लिया जाना है।

मद संख्या–01.12

मानचित्रों के निस्तारण हेतु देय शुल्कों के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड शासन, शहरी विकास/आवास अनुभाग देहरादून के शासनादेश संख्या –4697/V/श0वि0–आ0–2004–80(सा0)/2003 दिनांक 19 अक्टूबर, 2004 जो राज्य के विकास प्राधिकरणों में भवन मानचित्र से सम्बन्धित विभिन्न शुल्कों के निर्धारण विषयक है, में मानचित्र आवेदन शुल्क व सुधार/विकास शुल्क एवं अन्य शुल्कों का निर्धारण किया गया है (संलग्न परिशिष्ट–10)। उक्त शासनादेश को अंगीकृत किया जाना है।

महायोजना में निम्न भू–उपयोग से उच्च भू–उपयोग परिवर्तन के लिये शुल्क का निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या –1895/V/–आ0–2016–11(एल0यू0सी0)/03–2016 दिनांक 28 दिसम्बर, 2016(संलग्न परिशिष्ट–11) जिसमें पूर्ववर्ती उक्त सम्बन्धी शासनादेशों को अवकमित करते हुये तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त शासनादेश को अंगीकृत किया जाना है।

शासनादेशों में तलपट मानचित्रों (ले–आउट) की स्वीकृति हेतु पूर्ण रूप से शुल्कों का निर्धारित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में एम0डी0डी0ए0 प्राधिकरण में लिये जा रहे शुल्कों के आधार पर तलपट मानचित्र स्वीकृति हेतु शुल्क निम्नानुसार लिये जाने हैं:–

ले–आउट/ग्रुप हाउसिंग परियोजना की स्वीकृतिः–

1. आवेदन शुल्क– रू0–5,000/– प्रति पत्रावली (शासनादेश संख्या 4697/V/श0वि0–आ0–2004 दिनांक 19 अक्टूबर, 2004 के अनुसार)।
2. प्रपत्र शुल्क रू0–15/– प्रति पत्रावली (एम0डी0डी0ए0 में प्रचलित)।
3. प्रोसेसिंग शुल्क– भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन 2015) के चेप्टर 7 के बिन्दु संख्या– 7.3(ii) तथा अध्याय–2 के पैरा–2.2 में दी गई व्यवस्था के अनुसार।
4. पर्यवेक्षण शुल्क –ले–आउट के अन्तर्गत कुल भूमि क्षेत्रफल पर रू0–3/–प्रति वर्ग मीटर (एम0डी0डी0ए0 में प्रचलित)।
5. इको चार्जेज–ले–आउट के अन्तर्गत 40 प्रतिशत भूमि के क्षेत्रफल पर रू0–10/–प्रति वर्ग मीटर की दर से (एम0डी0डी0ए0 में प्रचलित)।

6. बाह्य विकास शुल्क–लोक निर्माण विभाग की दरों पर विकास कार्य की कुल आगणित लागत का 16 प्रतिशत (एम0डी0डी0ए0 में प्रचलित)।
7. समस्त भवनों के प्रस्तावित कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर पर्यवेक्षण शुल्क रू0–5/– प्रति वर्ग मीटर की दर से देय होगा।
8. लेबर वैलफेयर सेस–निर्माण लागत रू0 10.00 लाख से अधिक होने पर कुल लागत का 01 प्रतिशत।
9. कालोनी के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं एवं आवासीय निर्माण (विला) के प्रकरणों में विकास शुल्क शासनादेश संख्या–4697/ V/शा0वि0– आ0–2004–80 (सा0)/2003 दिनांक 19.10.2004 के अनुसार तथा पर्यवेक्षण शुल्क रू0 05.00 प्रति वर्ग मीटर आच्छादित क्षेत्रफल पर।

<u>भवन मानचित्र स्वीकृति:–</u>

1. आवेदन शुल्क तथा विकास शुल्क–शासनादेश संख्या–4697/V/शा0वि0– आ0–2004 –80(सा0)/2003 दिनांक 19.10.2004 के अनुसार।
2. प्रपत्र शुल्क–रू0 16.00 प्रति पत्रावली।
3. पर्यवेक्षण शुल्क–रू0 05.00 प्रति वर्ग मीटर आच्छादित क्षेत्रफल पर।
4. अभार शुल्क–रू0 11.00 प्रति वर्ग मीटर आच्छादित क्षेत्रफल पर।
5. लेबर वैलफेयर सेस–निर्माण लागत रू0 10.00 लाख से अधिक होने पर कुल लागत का 01 प्रतिशत।

<u>अतिरिक्त शुल्क</u>–जिन कालोनियों के ले–आउट स्वीकृत नहीं हैं तथा उनके विरुद्ध अवैध विकास/निर्माण के आरोप में कोई विधिक कार्यवाही नहीं हुई है, किन्तु उनमें पूर्व में भवन मानचित्र स्वीकृत हुये हैं, उनमें निम्नानुसार सब डिवीजन चार्ज जमा करवाकर मानचित्र स्वीकृत किये जायेंगे:–

<u>आवासीय निर्माण–</u>

(क) निर्मित/विकसित क्षेत्र (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/गांव पुरानी आबादी क्षेत्रान्तर्गत) तथा स्थानीय निकाय सीमा के बाहर महायोजना में चिन्हित निर्मित क्षेत्र)–सर्किल रेट के आधार पर भूमि मूल्य का 01 प्रतिशत।

(ख) अर्द्धविकसित/अविकसित क्षेत्र (उपरोक्त पैरा–क में उल्लिखित निर्मित/विकसित क्षेत्र के बाहर)–सर्किल रेट के आधार पर भूमि मूल्य का 05 प्रतिशत।

<u>अन्य आवासीय (व्यावसायिक आदि) निर्माण</u>–उपरोक्त दरों (क) एवं (ख) का दो गुना।

<u>कार्यवाही:–</u> *प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। शुल्क की दरों को प्रस्ताव के अनुसार अनुमोदित किया गया। श्रम कर्मकार कल्याण उपकर की धनराशि संगत शासनादेशों के अनुसार प्राप्त कर संबंधित विभाग को हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया।*

मानचित्रों की स्वीकृति का प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा–14, (Development of the land in the Development Area) धारा–15 (Application for permission) एवं अधिनियम की धारा–15 (ए)(Completion certificate) के तहत कार्यवाही का अधिकार उपाध्यक्ष में निहित है।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंहनगर का मुख्यालय रूद्रपुर कलेक्ट्रेट के कक्ष संख्या–03 में एवं क्षेत्रीय कार्यालय काशीपुर में पूर्व विनियमित क्षेत्र काशीपुर के भवन में निकट उप जिलाधिकारी कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय खटीमा उप जिलाधिकारी कार्यालय में अवस्थित हैं।

सचिव, जिला विकास प्राधिकरण, उधमसिंहनगर का कार्य करने हेतु अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) उधमसिंहनगर को एवं संयुक्त सचिव, के कार्य हेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है।

सचिव एवं संयुक्त सचिवों के मध्य अधिनियम की धारा–14 व 15 एवं 15(ए) के तहत निर्माण/विकास कार्यों के मानचित्रों के निस्तारण हेतु निम्नानुसार अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव है:–

1. उप जिलाधिकारी/संयुक्त सचिव, सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में सम्बन्धित तहसीलों से प्राप्त होने वाले समस्त भवन मानचित्रों का आवेदन शुल्क जमा कराते हुये पंजीकरण करेंगे। प्राप्त होने वाले 250 वर्ग मीटर आच्छादित क्षेत्रफल में एकल आवासीय भवन मानचित्र का निस्तारण करेंगे। अवशेष पंजीकृत आवेदित मानचित्रों को निस्तारण हेतु तकनीकी आख्या सहित मुख्यालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।
2. सचिव जिला विकास प्राधिकरण मुख्यालय–तहसील रूद्रपुर, गदरपुर व किच्छा के तहत प्राप्त होने वाले समस्त मानचित्रों का आवेदन शुल्क जमा कराते हुये पंजीकरण करेंगे। एकल आवासीय भवन मानचित्र उक्त तीनों तहसीलों के साथ–साथ अन्य तहसीलों के 250 वर्ग मीटर आच्छादित क्षेत्रफल से अधिक प्राप्त होने वाले एकल भवनों का निस्तारण करेंगे। समस्त तहसीलों के 500 वर्ग मीटर तक आच्छादित क्षेत्रफल के व्यवसायिक मानचित्रों का निस्तारण करेंगे। भूखण्ड में वृक्ष विद्यमान होने पर वन विभाग तथा सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग हल्द्वानी की अनापत्ति प्राप्त की जानी एवं सरकारी विभागों की सम्पत्ति से लगे भूखण्डों में मानचित्र स्वीकृति हेतु सम्बन्धित विभाग यथा लोक निर्माण विभाग, रेल, सिंचाई, विद्युत, जल निगम आदि की अनापत्ति अनिवार्य होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त अनावासीय यथा–व्यावसायिक, औद्योगिक, ग्रुप हाउसिंग, मल्टीपल इकाई, रिजार्ट, ले–आउट आदि समस्त मानचित्र स्वीकृति/अस्वीकृति/शमन हेतु पत्रावलियां

2

सहयुक्त नियोजक एवं सचिव के माध्यम से उपाध्यक्ष, जिला विकास प्राधिकरण, उधमसिंहनगर को प्रस्तुत की जायेगी। उपाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त स्वीकृति निर्गत करने एवं अस्वीकृत पत्र जारी करने का कार्य सचिव द्वारा किया जायेगा।

अधिनियम की धारा-15(3) के तहत मानचित्रों के निस्तारण हेतु उपाध्यक्ष उक्त में कभी भी संशोधन अपने स्तर से कर सकेंगे।

अतः उक्तानुसार मानचित्र स्वीकृति एवं धारा-15(ए) (Completion certificate) के तहत अधिकारों का प्रतिनिधायन संबंधित स्वीकृति प्राधिकारी को प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है।

तदनुसार प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत ।

कार्यवाहीः- *प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सचिव एवं संयुक्त सचिव अपने कार्यालय में प्राप्त होने वाले समस्त आवेदनों को प्राप्त कर यथा आवश्यकता सम्बन्धित विभागों की अनापत्ति प्राप्त कर 350 वर्ग मी० तक भूखण्ड क्षेत्रफल में प्रस्तावित आवासीय भवन मानचित्रों का निस्तारण करेंगे। संयुक्त सचिव प्रत्येक माह निस्तारित मानचित्रों की सूचना मुख्यालय को प्रेषित करेंगे। 350 वर्ग मी० से अधिक के भूखण्ड क्षेत्रफल पर प्रस्तावित आवासीय निर्माण तथा अन्य समस्त उपयोग यथा-व्यावसायिक, ग्रुप हाउसिंग, टे-आउट आदि से सम्बन्धित प्रकरणों में पत्रावलियां सभी आवश्यक अनापत्ति तथा तकनीकी आख्या एवं सहयुक्त नियोजक की आख्या सहित मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे। उक्त पत्रावलियां सचिव के माध्यम से उपाध्यक्ष के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेंगी तथा अनुमोदन प्राप्त होने पर स्वीकृति/अस्वीकृति सचिव के स्तर से जारी की जायेगी। सर्व सम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार उपरोक्त में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जा सकेगा।*

मद संख्या-01.14

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-26, 26 ए, 26सी एवं धारा 32 का प्रतिनिधायन।

अधिनियम की धारा-51(3) के तहत अधिनियम की धारा-14 एवं 15 के उल्लंघन एवं बिना अनुमति के किये जा रहे अवैध विकास/निर्माण के विरुद्ध धारा-27, 28 एवं 28(क) के तहत कार्यवाही करने तथा अवैध निर्माणों के बादों की समयबद्ध सुनवाई एवं निस्तारण भी अधिनियमानुसार सुनिश्चित करने हेतु सचिव, जिला विकास प्राधिकरण को रूद्रपुर, गदरपुर एवं किच्छा, संयुक्त सचिव/उप जिलाधिकारी काशीपुर को काशीपुर, जसपुर एवं बाजपुर तहसील क्षेत्र एवं संयुक्त सचिव/उप जिलाधिकारी खटीमा को तहसील खटीमा एवं सितारगंज क्षेत्रों में अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव है।

उक्त के अतिरिक्त अधिनियम की धारा-26 Penalities, 26-A Encroachment of obstruction on public land, 26-C Authority may without notice removed anything erected or dispositted in contraventions of Act की कार्यवाही हेतु सचिव, जिला विकास प्राधिकरण को रूद्रपुर, गदरपुर एवं किच्छा, संयुक्त सचिव/उप जिलाधिकारी काशीपुर को काशीपुर, जसपुर एवं बाजपुर तहसील क्षेत्र एवं संयुक्त सचिव/उप जिलाधिकारी खटीमा को तहसील खटीमा एवं सितारगंज क्षेत्रों में अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव है।

अधिनियम की धारा–32 के तहत कार्यवाही हेतु सचिव, जिला विकास प्राधिकरण को रूद्रपुर, गदरपुर एवं किच्छा, संयुक्त सचिव/उप जिलाधिकारी काशीपुर को काशीपुर, जसपुर एवं बाजपुर तहसील क्षेत्र एवं संयुक्त सचिव/उप जिलाधिकारी खटीमा को तहसील खटीमा एवं सितारगंज क्षेत्रों में अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव है।

संयुक्त सचिव/उप जिलाधिकारी जिला विकास प्राधिकरण अवैध निर्माणों के विरूद्ध धारा 27, 28 एवं 28(क) की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें किन्तु धारा–27 के तहत सुनवाई 250 वर्ग मी0 आच्छादित क्षेत्रफल तक एवं धारा–32 के तहत प्रशमन की कार्यवाही एवं निस्तारण कर सकेंगे।

सचिव, जिला विकास प्राधिकरण रूद्रपुर, गदरपुर एवं किच्छा के समस्त एकल आवासीय भवनों एवं अवशेष समस्त तहसीलों के अन्तर्गत 250 वर्ग मीटर आच्छादित क्षेत्रफल से अधिक एवं 500 वर्ग मीटर तक आच्छादित क्षेत्रफल के व्यवसायिक अवैध निर्माणों की सुनवाई, धारा–32 के तहत प्रशमन की कार्यवाही एवं निस्तारण कर सकेंगे।

उक्त से अतिरिक्त 500 वर्ग मीटर आच्छादित क्षेत्रफल से अधिक व्यवसायिक भवनों एवं समस्त प्रकार के गैर आवासीय अवैध निर्माणों तथा अनाधिकृत कालोनी के वादों की सुनवाई, शमन एवं निस्तारण की कार्यवाही उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंहनगर द्वारा की जायेगी।

उक्तानुसार अधिकारों का प्रतिनिधायन का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

कार्यवाही– *प्रस्ताव पर विमर्शोपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–*

(1) उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 (यथा संशोधित 2019) की धारा– 24, 24–ए, 24–सी, 27, 28, 28(ए), 40 एवं 49 की धाराओं में निहित समस्त अधिकार व कार्यवाही हेतु सचिव एवं संयुक्त सचिवों को अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया।

(2) अधिनियम की धारा–27 के प्रचलित वादों की सुनवाई एवं धारा–32 के तहत अपराधों का शमन किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रतिनिधायन किया गया–

(3) सचिव एवं संयुक्त सचिव स्तर से भूखण्ड क्षेत्रफल 350 वर्ग मी0 तक आवासीय अवैध निर्माणों की सुनवाई, निस्तारण एवं शमन की कार्यवाही कर सकेंगे।

(4) उक्त के अतिरिक्त समस्त प्रकार के अवैध निर्माणों यथा 350 वर्ग मी0 से अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल के आवासीय भवन, समस्त अनावासीय भवन, ग्रुप हाउसिंग, से–आउट, व्यावसायिक भवनों आदि के वादों की सुनवाई एवं निस्तारण उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंहनगर द्वारा की जायेगी। शमन सम्बन्धी कार्यवाही की पत्रावलियां सहयुक्त नियोजक की आख्या एवं तकनीकी आख्या सहित सचिव के माध्यम से उपाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी और उनके अनुमोदन के उपरान्त सचिव एवं संबंधित संयुक्त सचिव द्वारा शमन आदेश जारी किया जायेगा।

उपरोक्त प्रतिनिधायन में किसी भी का संशोधन उपाध्यक्ष अपने स्तर से कर सकेंगे।

मद संख्या–01.15

वित्त अधिकारों का प्रतिनिधायन।

मद संख्या–01.16

वित्त अधिकारों का प्रतिनिधायन।

प्राधिकरण के संचालन हेतु कर्मचारियों के वेतन आहरण के साथ–साथ अन्य कार्यकलापों हेतु अधिकतम रू0–500000.00 (पांच लाख) की वित्तीय स्वीकृति एवं आहरण हेतु मुख्य वित्त अधिकारी व सचिव, जिला विकास प्राधिकरण, उधमसिंहनगर को अधिकृत करने एवं इससे अधिक व्यय हेतु समस्त वित्तीय अधिकार उपाध्यक्ष, जिला विकास प्राधिकरण उधमसिंहनगर में निहित करने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

कार्यवाही:– *प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि मुख्य वित्त अधिकारी तथा सचिव, उधमसिंहनगर विकास प्राधिकरण को रू0 1,00,000/–तक के बजटाधीन/ अनुषांगिक व्यय हेतु वित्तीय अधिकार प्रदान किये गये। उक्त सीमा तक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का अधिकार सचिव में निहित होंगे। इससे अधिक व्यय हेतु समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार उपाध्यक्ष, उधमसिंहनगर विकास प्राधिकरण को दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त प्रतिनिधायन में किसी भी प्रकार का संशोधन उपाध्यक्ष अपने स्तर से कर सकेंगे।*

मद संख्या–01.16

जिला विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर में विभिन्न परियोजनाओं के लिये कन्सलटैण्ट (परामर्शी) नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

जनपद उधमसिंहनगर में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिये सिटी डेवलपमेण्ट प्लान/ सिटी ब्यूटीफिकेशन प्लान आवासीय कालौनियों के विकास/सौन्दर्यीकरण एवं अन्य प्रकार के विकास कार्य/प्रोजेक्ट नियोजित ढंग से डिजाईन एवं कार्यान्वित कराये जाने की आवश्यकता है. जैसे सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत जनपद उधमसिंहनगर में 15000 ई0डब्लू0एस0 भवनों के निर्माण का लक्ष्य दिया गया है। जिला विकास प्राधिकरण की विभिन्न परियोजनाओं के सफल सम्पादनार्थ परामर्श हेतु व्यवसाय विशेषज्ञों की सेवाओं की भी आवश्यकता होगी। अतः उक्त हेतु अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अनुसार विशेषज्ञों की सेवाएं लिये जाने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में सेवाएं लिये जाने हेतु उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण को निर्णय के लिये अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है।

तद्नुसार प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही:– *विचारोपरान्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।*

जनपद उधमसिंहनगर में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिये सिटी डेवलपमेण्ट प्लान/ सिटी ब्यूटीफिकेशन प्लान आवासीय कालोनियों के विकास/सौन्दर्यीकरण एवं अन्य प्रकार के विकास कार्य/प्रोजेक्ट नियोजित ढंग से डिजाईन एवं कार्यान्वित कराये जाने की आवश्यकता है, जैसे सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत जनपद उधमसिंहनगर में 15000 ई0डब्लू0एस0 भवनों के निर्माण का लक्ष्य दिया गया है। अतः उपरोक्त विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिये जिला विकास प्राधिकरण उधमसिंहनगर में पी0एम0यू0सेल का गठन किये जाने का प्रस्ताव है। उक्त के सम्बन्ध में आवश्यकता अनुसार वॉक–इन इण्टरव्यू (Walk-in Interview) अथवा आउटसोर्स के माध्यम से उक्त सेल में एक वर्ष के लिये आवश्यकता अनुसार अस्थाई पदों के सृजन एवं नियुक्ति हेतु उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी छः माह के कार्यों की समीक्षा के उपरान्त कार्य अवधि आगे बढ़ाई जा सकती है। उपरोक्त consultant/consulting Firms एवं जिला विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर की अन्य योजनाओं/ कार्यों के बेहतर प्रबन्धन/कियान्वयन (Management/Implementation) हेतु एक पी0एम0यू0 सेल की भी आवश्यकता होगी, जो कि contract management/ monitoring & evaluation/supervision इत्यादि करने में सहायक होगी।

तदनुसार प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही:– *विचारोपरान्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।*

मद संख्या–01.18

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंहनगर हेतु वाहन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण के कार्यों के संचालन हेतु उपाध्यक्ष के लिये एक ईनोवा, सचिव, जिला विकास प्राधिकरण उधमसिंहनगर हेतु एक जाईलो/स्कार्पियो तथा मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात अभियन्त्रण अनुभाग हेतु 01–01 बोलेरो वाहन क्रय किये जाने अथवा शासनादेशानुसार किराये पर लिये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही:– *प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया निर्णय लिया गया कि मार्च 2018 तक नये वाहन न क्रय करके आर0टी0ओ0 की दरों के अनुसार आउट सोर्सिंग से किराये पर वाहनों की व्यवस्था की जाये। इस हेतु उपाध्यक्ष स्तर से निर्णय लिया जा सकेगा।*

प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत प्रचलित निर्माणों एवं व्यवसायिक भवनों, जो अभी अधिभोग हेतु पूर्ण नहीं हैं, के निस्तारण के सम्बन्ध में।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंहनगर का गठन 13 नवम्बर, 2017 को हुआ है। प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत ऐसे बड़े–बड़े निर्माण/व्यावसायिक निर्माण विद्यमान हैं, जो अभी निर्माण की स्थिति मे हैं तथा अधिभोग हेतु पूर्ण नहीं हैं। कतिपय निर्माणों के विरूद्ध धारा–28 के तहत सीलिंग की कार्यवाही के साथ–साथ धारा–27 के तहत नोटिस निर्गत करते हुए अवैध निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही की गई है, जिनको विनियमित किया जाना है। उक्त निर्माण

भविष्य में निर्मित होने वाली महायोजना में समायोजित किये जाने हैं। इनके विनियमित किये जाने हेतु निम्नानुसार एक समिति गठित किये जाने का प्रस्ताव है, जो ऐसे प्रकरणों का निस्तारण कर सकेगी। समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे:–

1– सचिव, जिला विकास प्राधिकरण, उधमसिंहनगर– सदस्य
2– सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग हल्द्वानी सदस्य
3– अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सम्बन्धित क्षेत्र सदस्य
4– उपखण्ड अधिकारी, वन विभाग सम्बन्धित क्षेत्र सदस्य

उक्त समिति ऐसे सभी प्रकरणो पर अपनी आख्या उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण उधमसिंहनगर को प्रस्तुत करेगी, जिनका निस्तारण उपाध्यक्ष के आदेशानुसार किया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

कार्यवाही:– *प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया । प्रस्तावित समिति के क्रमांक 03 पर अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग के स्थान पर अधिशासी अभियन्ता, उजा तथा क्रमांक 04 पर उप खण्ड अधिकारी वन विभाग के स्थान पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को सदस्य नामित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि इस समिति में आवश्यकतानुसार परिवर्तन उपाध्यक्ष अपने स्तर से कर सकते हैं। विकास प्राधिकरण में जोड़े गये क्षेत्रों के लिए ग्रुप हाउसिंग तथा 2000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के निर्माणों के सम्बन्ध में उक्त समिति उपाध्यक्ष के समक्ष एक माह के अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।*

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंहनगर हेतु अधिवक्ताओं के पैनल के सम्बन्ध में।

पूर्व में प्राधिकरण द्वारा विभिन्न न्यायालयों मे वादों की पैरवी हेतु कोई दरें निर्धारित नहीं की गयी हैं। अतः वादों एव विधिक राय हेतु निम्नानुसार दरें प्रस्तावित है:–

क0सं0	मा0 न्यायालय का नाम	दर रू0
1.	मा0 सिविल न्यायालय में वाद / अपील / रिविजन / अधिनियम की धारा–49 के अन्तर्गत व्यादेश	रू0–2,000 / –प्रतिवाद, खर्च पृथकतः बिल प्रस्तुत करने पर रू0–1,000 / – तक
2.	मा0आयुक्त न्यायालय	रू0–2000 / प्रतिवाद मय अपील व्यय सहित।
3.	विधिक राय	रू0–700 / – प्रति समस्त व्यय सहित।
4.	लोक सूचा अभिकरण / लोकायुक्त / सूचना आयोग	रू0–2000 / –प्रतिवाद मय व्यय
5.	मा0 उत्तराखण्ड शासन (पुनरीक्षण)	रू0–2000 / –प्रतिवाद मय व्यय
6.	मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल	रू0–9000 / – प्रतिवाद, खर्च पृथकतः बिल प्रस्तुत करने पर रू0–2000 / –
7.	मा0 सर्वोच्च न्यायालय / राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली।	रू0–15000 / – प्रति वाद तिथि।

जिला विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर में लीगल सेल, जिसमें दो लीगल एडवाईजर होगें, जिसमें एक वरिष्ठ लीगल एडवाईजर तथा एक कनिष्ठ लीगल एडवाईजर होगें, बनाये जाने का प्रस्ताव है। साथ ही इसमें आवश्यकतानुसार विभिन्न न्यायालयों में वादों की पैरवी किये जाने हेतु अधिवक्ताओं अथवा शासकीय अधिवक्ताओं का चयन किये जाने के लिये उपाध्यक्ष, जिला विकास प्राधिकरण को अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव है।

तदनुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

कार्यवाही:– *प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। लीगल सेल बनाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया एवं निर्णय लिया गया कि एम0डी0डी0ए0, एच0आर0डी0ए0 एंव दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण से निर्धारित दरें प्राप्त कर विकास प्राधिकरण उधमसिंहनगर हेतु दरों का निर्धारण करते हुये उपाध्यक्ष अपने स्तर से अधिवक्ताओं की नियुक्ति कर सकेंगे।*

जिला विकास प्राधिकरण उधमसिंहनगर के वित्तीय वर्ष 2017–18 के अन्तिम त्रैमास हेतु प्रस्तावित बजट के आय–व्यय का विवरण।

जिला विकास प्राधिकरण का गठन 13 नवम्बर, 2017 को हुआ। उक्त तिथि को प्राधिकरण की कुल सकल आय रू0 3,0052,256–00 थी, जो पूर्व विनियमित क्षेत्र /स्थानीय विकास प्राधिकरण यथा काशीपुर, बाजपुर, रूद्रपुर एवं किच्छा की कुल आय का योग है। प्राधिकरण के सुचारू संचालन हेतु वित्तीय वर्ष के शेष महीनों हेतु रू0 1,02,10,000–00 (रू0 एक करोड़ दो लाख दस हजार) का व्यय विवरण प्रस्तावित है।

तदनुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

वार्षिक व्यय विवरण 2017–18

	धनराशि (रूपये में)
आय (वास्तविक)*	3,00,52,256–00
आय (प्रस्तावित)**	30,00,000–00
	कुल योग– 3,30,52,256–00

व्यय (प्रस्तावित)

1	वेतन एवं महंगाई भत्ता–	
2	मजदूरी	10,00,000–00
3	यात्रा व्यय एवं स्था0 यात्रा व्यय	50,000–00
4	मानदेय	1,00,000–00
5	कार्यालय व्यय	20,000–00
6	विद्युत देय	1,00,000–00
7	जल–भार	–
8	लेखन सामग्री एवं छपाई	–
9	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,00,000–00
10	टेलीफोन व्यय	10,00,000–00
11	कार्यालय प्रयोग हेतु स्टाफ कार एवं अन्य वाहनों पर होने वाला व्यय	20,000–00
12	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं का भुगतान	50,00,000–00
13	विज्ञापन व्यय	5,00,000–00
14	आतिथ्य व्यय	2,00,000–00
15	मशीन साज–सज्जा एवं उपकरण	20,000–00
16	कम्प्यूटर एवं सम्बन्धित उपकरणों एवं सामग्रियों का क्रय	1,00,000–00
17	अन्य व्यय	10,00,000–00
	योग	10,00,000–00
		1,02,10,000–00

* उक्त वास्तविक आय वर्तमान में पूर्ववर्ती विनियमित क्षेत्रों तथा स्थानीय विकास प्राधिकरणों के खातों में विद्यमान है, जिसे जिला विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर के खाते में स्थानान्तरित कर खर्च करने की अनुमति हेतु अनुशंश पत्र विकास प्राधिकरण द्वारा सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया गया है।

* बजट में प्रस्तावित व्यय के मदों में यदि किसी मद में धनराशि उपलब्ध न हो एवं दूसरी मद में धनराशि अवशेष रहती है, तो बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में उपाध्यक्ष को अवशेष धनराशि को एक मद से दूसरी मद में व्यय करने हेतु अधिकृत करने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही:— *प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वित्तीय वर्ष 2017–18 के अतिरिक्त वेतन हेतु प्रस्तावित बजट के मद संख्या 12 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं का भुगतान में रू0 5,00,000/– के स्थान पर रू0–25,00,000/– व्यय किये जाने की स्वीकृति के साथ आय रू0 3,30,52,256–00 के सापेक्ष व्यय रू0 1,22,10,000–00 सर्व सम्मति से स्वीकृत किया गया।*

सर्व सम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि बजट में प्रस्तावित व्यय के मदों में यदि किसी मद में धनराशि उपलब्ध न हो एवं दूसरी मद में धनराशि अवशेष रहती है, तो उपाध्यक्ष को अवशेष धनराशि को एक मद से दूसरी मद में व्यय करने हेतु अधिकृत किया गया। पूर्ववर्ती स्थानीय विकास प्राधिकरणों के खातों में जमा धनराशि को विकास प्राधिकरण के खाते में ले लिया जाये तथा पूर्व विनियमित क्षेत्रों के खातों में जमा धनराशि को शासन से दिशा–निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त ही व्यय किया जायेगा, इस सम्बन्ध में शासन को पत्र प्रेषित किया जाये।

मद संख्या–01.22

अन्य बिन्दु:— (1) जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधम सिंह नगर के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु पदों के सृजन की प्राप्त स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–2, देहरादून के शासनादेश संख्या–2104/V-/2017-53 (आ0)/2017 दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 द्वारा इस प्राधिकरण के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु विवरण के अनुसार पदों की सृजन स्वीकृति प्रदत्त की गयी है जिसको अंगीकृत किया जाना है।

शासन द्वारा सृजित पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर शासन स्तर से नियुक्ति किये जाने अधिकारी/कर्मचारियों हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने, नियमावली के अनुसार प्राधिकरण स्तर से कर्मचारियों को नियुक्त करने एवं आउटसोर्स से नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों को भी नियुक्त करने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

कार्यवाही:— *शासनादेशानुसार सृजित पदों को सर्वसम्मति से अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।*

(2) अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिये गये कि प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में उपर्युक्त सचिव जागरूकता शिविरों का आयोजन कर आवेदन एवं ऋण वितरण, अधिकाधिक के सम्बन्ध में जागरूक हो सके। साथ ही साथ ही एस0एम0एस0 आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिये गये।

अन्त में अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद देने के साथ बैठक का समापन किया गया।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/सचिव
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
ऊधम सिंह नगर

आयुक्त कुमायूँ मण्डल/अध्यक्ष
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
ऊधम सिंह नगर

कार्यालय जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष जिला स्था0वि0प्रा0, उधमसिंहनगर।

पत्रांक:— 328/आर0ए0सी0— बोर्ड बैठक/2018 दिनांक:— 02—01—2018

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. आयुक्त कुमायूँ मण्डल/अध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर।
4. जिलाधिकारी उधम सिंह नगर।
5. सचिव/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) उधम सिंह नगर।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, कुमायूँ परिक्षेत्र, नैनीताल।
8. संयुक्त सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय काशीपुर/खटीमा।
9. सम्बन्धित समस्त अधिकारी व अन्य सदस्यगण।

(प्रताप सिंह शाह)
सचिव/अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
जिला विकास प्राधिकरण उधमसिंहनगर

दिनांक 20/12/2017 को सम्पन्न प्रथम बोर्ड बैठक में पारित प्रस्तावों की अनुपालन आख्या।

मद सं0 (01.01)– ऊधमसिंहनगर के सम्पूर्ण भू–भाग को जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण घोषित किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना को अंगीकृत किया जा चुका है।

मद सं0 (01.02)– विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कलेक्ट्रेट रूद्रपुर के कक्ष सं0 7 में, क्षेत्रीय कार्यालय खटीमा एवं काशीपुर के कार्यालय सम्बन्धित उप जिलाधिकारी कार्यालय में स्थापित है।

मद सं0 (01.03)– विकास प्राधिकरण में वर्तमान में एक सहायक अभियन्ता उडा, क्षेत्रीय कार्यालय, रूद्रपुर से 3 सहायक अभियन्ता RWD से, 4 अवर अभियन्ता नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से तथा 4 अवर अभियन्ता RWD से अपने कार्यों के साथ–साथ सम्बद्ध हैं। 2 वरिष्ठ सहायक एवं एक कनिष्ठ सहायक कलेक्ट्रेट अधिष्ठान से एक कनिष्ठ सहायक पूर्व विनियमित क्षेत्र से तथा 02 कलेक्ट्रेट के अवकाश प्राप्त वरिष्ठ सहायक भी विकास प्राधिकरण में कार्यरत हैं।

मुख्यालय उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियुक्ति नहीं की गई है। इस हेतु पत्र प्रेषित किये गये हैं।

मद सं0 (01.04)– वर्तमान में भवन मानचित्रों का निस्तारण उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम 2011 (संशोधन 2015) (समय–समय पर संशोधित) के आधार पर किया जा रहा है। मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल के आदेश दिनांक 25.04.2017 का अनुपालन किया जा रहा है। रेन वाटर हारवेस्टिंग के सम्बन्ध में पत्र शासन को प्रेषित किया जा चुका है।

मद सं0 (01.05)– पूर्व विनियमित क्षेत्रों में RBO Act के तहत दर्ज वादों में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 के तहत सुनवाई की जा रही है।

मद सं0 (01.06)– पूर्व विनियमित क्षेत्र रूद्रपुर, किच्छा, बाजपुर एवं काशीपुर की महायोजनाओं को अंगीकृत किया गया है। वर्तमान में इन क्षेत्रों में भवन मानचित्रों/ले–आउट प्लान का निस्तारण महायोजना मानचित्र एवं जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार किया जा रहा है। स्वीकृति की कार्यवाही बोर्ड के द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार की जा रही है।

मद सं0 (01.07)– EODB से सम्बन्धित दस्तावेज अंगीकृत किये गये हैं। बोर्ड के पारित प्रस्ताव के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

मद सं0 (01.08)– अनुपालन हो गया है।

मद सं0 (01.09)– पूर्ववर्ती विनियमित क्षेत्रों के खातों में जमा धनराशि को विकास प्राधिकरण के खाते में स्थानान्तरित किये जाने तथा खर्च करने की अनुमति हेतु शासन को पत्र प्रेषित किये गये हैं। अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

मद सं0 (01.10)– पूर्ववर्ती विनियमित क्षेत्रों की समस्त अचल सम्पत्ति जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में स्वतः ही स्थानांतरित हो गई है।